समक्ष : न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश

पुनरीक्षण प्र0क्र0/ निगरानी/कटनी/भू.रा/2018/1941

1-श्रीमती राधाबाई पत्नीराजेश उर्फ मुन्ना ताम्रकार
पुत्री स्व0 नारायण प्रसाद ताम्रकार
निवासी नागौद, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0

2-श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी शिवनाथ ताम्रकार उर्फ लल्लू
ताम्रकार पुत्री स्व0 नारायण प्रसाद ताम्रकार
निवासी-वार्ड क्र0-08 सराफा बाजार बरही,
तहसील बरही, जिला कटनी म0प्र0

........आवेदिकागण

बनाम

1-सूरज प्रसाद आत्मज स्व0 नारायण प्रसाद ताम्रकार

2-श्रीमती साधनादेवी पत्नी स्व0 शिव कुमार ताम्रकार
अ-कु0सुष्मिता ताम्रकार पुत्री स्व0 शिव कुमार ताम्रकार
ब-प्रद्युमन ताम्रकार पुत्र स्व0 शिव कुमार ताम्रकार
स-सुमित ताम्रकार पुत्र स्व0 शिव कुमार ताम्रकार
तीनो नाबालिग बली मां साधनादेवी ताम्रकार पति स्व0 श्री शिव कुमार ताम्रकार

3-संजय ताम्रकार आत्मज स्व0 नारायण प्रसाद ताम्रकार

4-अरूण प्रसाद ताम्रकार आत्मज स्व0 नारायण प्रसाद ताम्रकार

5-मायादेवी ताम्रकार पत्नी स्व0 रामनरेश ताम्रकार

6-जितेंद्र वल्द स्व0 रामनरेश ताम्रकार

7-रामजी वल्द स्व0 रामतनरेश ताम्रकार

8-रश्मि पुत्री स्व0 रामनरेश ताम्रकार

सभी निवासी बरही वार्ड नं0-9,तहसील बरही
जिला कटनी म0प्र0

......अनावेदकगण

<u>न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बरही द्वारा अपील प्र0क्र0/06/अ-27/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 7/2/2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के आधीन पुनरीक्षण</u>

माननीय महोदय,

आवेदिकागणों की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है-:

<u>पुनरीक्षण के संक्षिप्त तथ्य</u>

XXIX(a)-BR(H)-11

-2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/कटनी/भू.रा./2018/1941

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/05/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक क्र. 1 एवं अनावेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में स्वत्व घोषणा का आवेदन लगाया गया है एवं व्यवहार न्यायालय द्वारा उक्त व्यवहार वाद में आज दिनांक तक कोई स्थगन नहीं दिया गया है। इसलिए व्यवहार न्यायालय में वाद संस्थित होने से अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही स्थगित किया जाना न्यायोचित न मानते हुए आवेदक क्र. 2 एवं 3 द्वारा प्रस्तुत सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11 का आवेदन खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	